दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो हुक्म की ता[illegible] में जारी हु[illegible]
5.6.24	याद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 23.7.24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
23/7/24	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर रजि० से प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। विपक्षी सं. 6 की ओर से अधिकारपत्र श्री श्यामलाल रेगर अधिवक्ता ने पेश किया जिसे शा० प० किया गया। विपक्षीगण 1 लगायत 5 व 7 को कितनी बार आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उप० नहीं, उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी सं० 6 के अधिवक्ता ने बताया कि कब्जे को यथावत रखते हुए प्रार्थिया की आराजियात की पत्थरगढ़ी की जावे तो हमे कोई आपत्ति नही। जिसे स्वीकार किया गया। वकील प्रार्थिया का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस

मुकदमा संख्या – 240/24 प्रा॰पत्र

1– सुखी D/o मगनीराम कुमावत निवासी– छाजवो का खेड़ा तहसील माण्डल

प्रार्थी

बनाम

1– श्री कन्हैयालाल s/o श्री लादु लाल कुमावत निवासी– छाजवो का खेड़ा त॰ माडंल (कारोई)
(पृष्ठांकित प्रार्थनापत्र)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 23-7-24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम छाजवो का खेड़ा पटवार हल्का कारिया तहसील माण्डल मे उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 1696 कुल किता 01 रकबा 0.0506 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 25-6-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण के अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम छाजवो का खेड़ा पटवार हल्का कारिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1696 कुल किता 01 रकबा 0.0506 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक आलगारा को 500 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी मे मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल